

पर्यावरण संरक्षण के सन्दर्भ में पर्यावरणीय नैतिकता व मानवीय मूल्य

डॉ० प्रियंका

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग
आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, कानपुर

शोध-सार

प्रकृति, मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ व अनमोल उपहार है। प्रकृति के आँगन में विचरण करके वह बड़ा होता है। प्रकृति समय और परिस्थितियों के अनुसार माँ की ममता के समान सुरक्षा प्रदान करती है। किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यक्ति आज अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का हर सम्भव प्रयास कर रहा है। डॉ. विद्यानिवास मिश्र का कथन है— “प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, किन्तु जहाँ औद्योगिक विकास से अन्धे मानव ने प्रकृति की चुनौती को माना और इस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा यही से मानव और प्रकृति का संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम सामने है।” इस उपहार को संवारने-सहेजने व सजाने का न केवल हमारा दायित्व है, कर्तव्य है बल्कि नैतिकता व मानवता के आधार पर भी ऐसा करना आवश्यक है

पर्यावरण हमारे आस-पास का वातावरण जिसे प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। इस उपहार को संवारने-सहेजने व सजाने का न केवल हमारा दायित्व है, कर्तव्य है बल्कि नैतिकता व मानवता के आधार पर भी ऐसा करना आवश्यक है। पर्यावरणीय नैतिकता अर्थात् प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्यों के नैतिक सम्बन्धों से है। यह इस तथ्य से सम्बन्धित है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को जीवन जीने का व जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है। मानव को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वह प्रकृति को नष्ट करके या उसे क्षति पहुँचाकर जीवों को उनके अधिकार से वंचित कर सके। यह अनैतिक है। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरणीय नैतिकता अति आवश्यक है। इसमें अतिरिक्त मानवीय मूल्य को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुणों को समावेश है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास का समाज में विश्वास व सम्मान प्राप्त करता है। मानवीय मूल्यों में मानव की धारणाएँ, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति एवं आस्था आदि अन्तर्निहित होते हैं। इस दृष्टिकोण से पर्यावरण के संरक्षण में मानवीय मूल्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब मानव की धारणाएँ, विचार, अस्था व मनोवृत्ति पर्यावरण

के प्रति सकारात्मक व रक्षात्मक होंगे तभी मनुष्य का व्यवहार पर्यावरण के प्रति सजग रहेगा।

पर्यावरणीय नैतिकता एवं मानवीय मूल्य प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। अपने पर्यावरण के प्रति हमारा दृष्टिकोण, आस-पास के वातावरण के प्रति हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व, विचारधारा, संस्कृति, मूल्यों व प्रकृति के प्रति हमारी आस्था को दर्शाता है।

प्रकृति, मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ व अनमोल उपहार है। प्रकृति के आँगन में विचरण करके वह बड़ा होता है। प्रकृति समय और परिस्थितियों के अनुसार माँ की ममता के समान सुरक्षा प्रदान करती है। किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यक्ति आज अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का हर सम्भव प्रयास कर रहा है। डॉ. विद्यानिवास मिश्र का कथन है— “प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, किन्तु जहाँ औद्योगिक विकास से अन्धे मानव ने प्रकृति की चुनौती को माना और इस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा यही से मानव और प्रकृति का संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम सामने है।”

वर्तमान समय में डॉ. विद्यानिवास जी का कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रहा है। प्रकृति

की क्रियाओं में मनुष्य के हस्तक्षेप ने उसके सन्तुलन को बिगाड़ दिया है। आज स्थिति यह है कि मानव को अमूल्य उपहार (जल, वायु, अग्नि, लकड़ी) देने वाली प्रकृति अपने अस्तित्व को जीवित रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है।

इस परिस्थिति के लिए मानव ही उत्तरदायी है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, उसमें मानव सबसे योग्य और विवेक पूर्ण है। उसके पास बुद्धि है, शक्ति है और तर्क की कसौटी है। परन्तु यह उसका ही दुर्भाग्य है कि उसने अपने विवेक का उपयोग न करके ईश्वर प्रदत्त इस अमूल्य निधि का अपमान किया है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस स्थिति को इस प्रकार भयावह बनाकर, पर्यावरण के प्रति अपने नैतिक उत्तरदायित्व को न समझकर, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को अनदेखा कर तथा प्रकृति व पर्यावरण के प्रति मानवीय दृष्टिकोण न रखकर क्या मनुष्य स्वयं को ही विनाश के गर्त में ले जा रहा है? नहीं अपितु वह स्वयं के साथ-साथ इस पृथ्वी पर जीवन-यापन कर रहे अन्य जीवों के लिए भी संकट उत्पन्न कर रहा है। वह भौतिकवादी सुख-सुविधाओं की चकाचौंध में इतना डूब गया है कि अपने भविष्य के साथ-साथ अपने आगे आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य खतरे में डाल रहा है।

अब समय आ गया है कि मनुष्य में लुप्त होती जा रही मानवीय मूल्यों की ज्योति पुनः प्रज्ज्वलित की जाये। उसे स्मरण कराया जाये कि भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक सुषमा के प्रति कितना आदर व आकर्षण है। यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर, प्रकृति को गुरु मानकर उसके साथ सहयोग करता और विशेष करके सब अवशिष्टों को प्रकृति को लौटाता है तो सृष्टि और मनुष्य स्वस्थ रह सकते हैं। भारतीय संस्कृति में इसी अटल सत्य को स्थान प्रदान किया गया है। इसमें प्राकृतिकसुषमा के सभी आधारों में देवत्व गुण को आरोपित कर उन्हें आदर और श्रद्धा का केन्द्र-बिन्दु बनाया गया है। इसी सन्दर्भ

में डॉ० सत्यप्रकाश ने कहा – “प्रकृति हमारी देवी है। उसके प्रदूषित होने से मन और बौद्धिक चिन्तन भी प्रदूषित होता है। हमें अपने हित की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।” पर्यावरण संरक्षण के लिए यह आवश्यक है व्यक्ति की नैतिकता को पर्यावरण के साथ सम्बन्धित कर दिया जाये क्यों कि नैतिकता ही व्यक्ति में सदाचारिता, कर्तव्यपरायणता तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। तथा व्यक्ति में मानवीय मूल्यों का उदय होता है।

पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक सम्पदा से खिलवाड़ तथा पर्यावरण के गिरते हुए स्तर जैसी समस्याओं कारण मानव को दण्डित करने से उपयुक्त समाधान यह है कि व्यक्ति में नैतिकता व मानवीय मूल्यों का संचार किया जाये, जिससे कि वह स्वयं ही पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित हो सके, जो कि एक स्थायी कारगर समाधान होगा।

इसी दिशा में सरकार द्वारा भी कई प्रगतिशील प्रयास किये जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारम्भ किया। यह अभियान महात्मा गांधी जी की 145 वीं जयंती के शुभ अवसर पर आरम्भ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है।

सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, साथ ही महात्मा गांधी के जन्म की 150 वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के जम्मू और कश्मीर राज्य चुनाव अभियान के दौरान स्कूलों में शौचालयों की आवश्यकता के बारे में भी बताया – “जब छात्रा उस उम्र तक पहुंचती है

जहाँ उसे पता चल जाता है कि स्कूल में महिला शौचालयों की कमी के कारण उसने अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ दी है और इस कारण जब वे अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं तो वे अशिक्षित रहते हैं। हमारी बेटियों को गुणवत्ता की शिक्षा का समान मौका भी मिलना चाहिए। 60 वर्षों की स्वतन्त्रता के बाद प्रत्येक स्कूल में छात्राओं के लिए अलग शौचालय होना चाहिए था। लेकिन पिछले 60 सालों से वे लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं दे सके और नतीजन, महिला छात्रों को अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ना पड़ता था।

मई 2015 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, महिन्द्रा ग्रुप और रोटरी इंटरनेशनल सहित 19 कंपनियों ने 3,195 नए शौचालयों का निर्माण करने का वादा किया है। उसी महीने में भारत में 71 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 86,781 नए शौचालयों के निर्माण का समर्थन किया।

मोदी जी ने इस अभियान का प्रचार करने के लिए 11 लोगों को चुना, जो निम्न हैं—

1. सचिन तेन्दुलकर
2. प्रियंका चोपड़ा
3. अनिल अंबानी
4. बाबा रामदेव
5. सलमान खान
6. शशि थरूर
7. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम
8. मृदुला सिन्हा
9. कमल हसन
10. विराट कोहली
11. महेन्द्र सिंह धोनी
12. ई.आर. दिलकेश्वर कुमार

प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व स्वस्थ रखने की दिशा में सरकार का यह प्रयास अतुलनीय व सराहनीय है। साथ ही देश के नागरिकों के द्वारा सहृदय व कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से युक्त एक पहल है जिससे हम अपने

पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। यह सभी प्रयास सफल भी हो रहे हैं क्योंकि इनके पीछे हमारे वह मूल्य हैं जिनमें पर्यावरण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व की भावना स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। सम्भवतः इन्हीं के कारण आज भी मानव जाति में कुछ सीमा तक पर्यावरण नैतिकता की झलक दिखायी देती है।

भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण व सुधार के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48—क जोड़ा गया है जो निम्न उपबंध करता है — राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्द्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया अध्याय 45 क भी जोड़ा गया। इस अध्याय के अनुच्छेद 51—क में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अनुच्छेद 51 क खण्ड (छ) स्पष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण का उपबंध करता है। इसके अनुसार — “भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखे।”

इसके अतिरिक्त संविधान की अनुसूची सात संघ तथा राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं।

यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि वर्तमान समय में प्रकृति/ पर्यावरण अपनी सुरक्षा व संरक्षण के लिए मानव जाति पर निर्भर हो गयी है। ईश्वर द्वारा प्रदान की गयी इस अमूल्य देन को मानव ने अत्यधिक दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अपने भौतिकवादी विकास के लिए तथा सुख—साधन से युक्त जीवन यापन के लिए वह प्रकृति का भरपूर दोहन शोषण कर रहा है। पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित व सुसज्जित बनाये रखने की मंशा तो उसके जेहन में कहीं भी नहीं पनपती, मानो कि वह अपने निजी स्वार्थ

सिद्धि में इस सीमा तक डूब चुका है कि जैसे विलासिता पूर्ण जीवन यापन करना मात्र ही मानव के जीवन का उद्देश्य रह गया हो। सारांश—ईसाई धर्म के प्रचारक डीन इंज ने कहा था—“प्रकृति के ऊपर अत्याचार करने पर वह अवश्य प्रतिशोध लेती है।”

मनुष्य ने प्रकृति का जो दोहन किया है वर्तमान में यह पर्यावरण प्रदूषण उसी का परिणाम है। डीन इंज का कथन वर्तमान में व्यग्रदानव रूपी पर्यावरण प्रदूषण के संकट के मूल कारण का बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से विश्लेषण करता है।

प्राकृतिक सम्पदा के भण्डार (खनिज तेल, कोयला, लोहा, शुद्ध पेय जल) आदि समाप्त हो चले हैं, धरती बंजर हो रही है, भूकम्प, तूफान तथा प्रदूषण से लोग तबाह हो रहे हैं। अपने लाभ के लिए मानव ने अविवेकपूर्ण ढंग से वनों व पर्यावरण का असीमित दोहन किया है।

हमारे संविधान के मूल कर्तव्यों में भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गयी है। यह हमारी नैतिकता व संस्कार और मूल्यों पर निर्भर होता है कि हम अपने उत्तरदायित्व व कर्तव्यों को भली भाँति निभायें।

अतः यह कहना गलत न होगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्ति में मूल्य व नैतिकता का समावेश आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. पर्यावरण शिक्षा, डॉ० एम० के० गोयल अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 150 ज्योति प्रिंटिंग प्रेस
2. पर्यावरण शिक्षा डॉ० निशांत सिंह, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2007
3. पर्यावरण अध्ययन, अमित कुमार विश्व भारती पब्लिकेशन्स नई दिल्ली।
4. भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, दिनेश मौर्य एवं राजेश द्विवेदी, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, 2015-16।